न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी	वनाम	प्रतिवादीगण
मै. जय अम्बे माईनिंग कॉरपोरेशन जरिये खास मुख्त्यार तनुज कुमार उपाध्याय पुत्र नवल किशोर उपाध्याय जाति उपाध्याय, निवासी बी/2/25 विनायक नगर, गंगाशहर बीकानेर (राज.)		1. धनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी चैनपुराकलां 2. खमीश खां पुत्र आदम खां जाति मुसलमान निवासी मोहरनगर तहसील फलोदी जिला जोधपुर

दावा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :-492/2019

उपस्थित अधिवक्ता :-

1. श्री सुमेरसिंह चौहान वादी की ओर से
2. श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई एवं सलीम खां मेहर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक :- 11.11.2019

वादी ने एक वाद पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है ग्राम चैनपुरा कलां पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी में खसरा नम्बर 1136/1 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1136/6 रकबा 15 बीघा भूमि वादी की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि को वादी ने दिनांक 27.03.2006 को खसरा नम्बर 1136/1 रकबा 10 बीघा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 धनाराम एंव खसरा नम्बर 1136/6 रकबा 15 बीघा के खातेदार प्रतिवादी सख्या 2 खमीश खां दोनों से कुल रकबा 25 बीघा भूमि क्रय कर भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त किया। वादी ने तत्समय पटवारी हल्का को दिनांक 27.03.2006 के विक्रय पत्र की प्रति प्रदान कर नामांतरकरण वादी के नाम स्वीकार करवाने का कहा तो पटवारी हल्का ने क्रयसुदा भूमि का नामांतरकरण शीध्र ही वादी के नाम स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया था लेकिन वादी के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया। लेकिन वक्त क्रय से आज दिन तक उक्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है इसलिये वादी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार विश्नोई एवं सलीम खां मेहर ने अपना वकालातनामा पेश किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा बार

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

बार जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के वावजुद भी उनकी ओर से जवाव प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्य में रखी गई।

वादी की ओर से वादी के खास मुख्त्यार तनुज कुमार उपाध्याय ने साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और अपनी साक्ष्य में बताया कि ग्राम चैनपुरा कलां पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी में खसरा नम्बर 1136/1 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1136/6

रकबा 15 बीघा भूमि वादी ने दिनांक 27.03.2006 को खसरा नम्बर 1136/1 रकबा 10 बीघा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 धनाराम एंव खसरा नम्बर 1136/6 रकबा 15 बीघा के खातेदार प्रतिवादी सख्या 2 खमीश खां दोनों से कुल रकबा 25 बीघा भूमि क्रय कर भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त किया। वादी ने तत्समय पटवारी हल्का को दिनांक 27.03.2006 के विक्रय पत्र की प्रति प्रदान कर नामांतरकरण .वादी के नाम स्वीकार करवाने का कहा तो पटवारी हल्का ने क्रयसुदा भूमि का नामांतरकरण शीध्र ही वादी के नाम स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया था लेकिन वादी के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया। इसलिये वादी उक्त भूमि अपने नाम से खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी ने साक्ष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी, नक्शा, विक्रय पत्र, आम मुख्त्यारनामा की प्रतिया प्रदर्शित करवाई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुवे बताया कि ग्राम चैनपुरा कलां पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी में खसरा नम्बर 1136/1 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1136/6 रकबा 15 बीघा भूमि वादी की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि को वादी ने दिनांक 27.03.2006 को खसरा नम्बर 1136/1 रकबा 10 बीघा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 धनाराम एंव खसरा नम्बर 1136/6 रकबा 15 बीघा के खातेदार प्रतिवादी सख्या 2 खमीश खां दोनों से कुल रकबा 25 बीघा भूमि क्रय कर भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त किया। वादी ने तत्समय पटवारी हल्का को दिनांक 27.03.2006 के विक्रय पत्र की प्रति प्रदान कर नामांतरकरण वादी के नाम स्वीकार करवाने का कहा तो पटवारी हल्का ने क्रयसुदा भूमि का नामांतरकरण शीध्र ही वादी के नाम स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया था लेकिन वादी के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया। लेकिन वक्त क्रय से आज दिन तक उक्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है इसलिये वादी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया की वादी ने गलत तथ्य पेश कर वाद पेश किया है जो कि काबिले खारिज है।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य जमाबंदी, नक्शा, विक्रय पत्र, आम मुख्त्यारनामा इत्यादि का अवलोकन किया जिससे साबित है उक्त वादग्रस्त भूमि वादी की खरीदसुदा भूमि है और भूमि का विक्रय पत्र भी वादी के नाम से निष्पादित किया हुआ है तथा वादी उक्त भूमि का सद्भाविक क्रेता है तथा मौके पर कब्जा भी वादी का चला आ रहा है। इसलिये माफिक विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2006 उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। बाद सुनने बहस प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर मीर मोहम्मद पुत्र महीदीन मुसलमान को उक्त वाद में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया जो प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम चैनपुरा कलां पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी में खसरा नम्बर 1136/1 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1136/6 रकबा 15 बीघा भूमि का वादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2006 के अनुसार वादी मै. जय अम्बे माईनिंग कॉरपोरेशन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। तहसीलदार फलोदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करावे। पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी जिला जोधपुर

(यशपाल आहूजा आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
फलौदी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2019.11.25 13:12:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: